

# राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील सं.

457/10

जिला

जनपुर

उनवान

तारीख  
हुक्म

23.2.2015

हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज

नम्बर व तारीख  
अहकाम जो इस  
हुक्म की तामील  
में जारी हुए

खण्डपीठ

श्री सुनील शर्मा, रादरय

श्री मदनलाल, सदस्य

वकील प्रार्थी श्री संजय शाह एवं विभागीय प्रतिनिधि  
श्री आर.के.अजमेरा उपरिथत।

श्री संजय शाह ने निवेदन किया कि वे राज्य सरकार  
द्वारा जारी एमनेस्टी स्कीम का लाभ लेने के क्रम में प्रस्तुत  
अपील को विद्वा करना चाहते हैं। इस बाबत् श्री शाह ने  
प्रार्थना पत्र भी पेश किया है जो पत्रावली पर उपलब्ध है।  
विभागीय प्रतिनिधि ने इस पत्र कोई आपत्ति व्यक्त नहीं की।

अतः श्री संजय शाह एडवोकेट का अपील को विद्वा  
करने का निवेदन स्वीकार करते हुए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील  
जारिये विद्वाअल खारिज की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

✓  
सदस्य

राजस्थान कर बोर्ड,  
अजमेर।

✓  
सदस्य

राजस्थान कर बोर्ड,  
अजमेर।